


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

जगदीश वगै० बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा-दावा दुरुस्ती इन्द्राज बाबत

मु०नं०-166/2023

पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 2864, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884 वाके रामा सिकराय तह० सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगणों के पिता का नाम हरिया पुत्र हिरया दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 1414, 1415, 1416 वाके ग्राम सिकराय तह० सिकराय में प्रार्थीगणों के पिता का नाम हीरालाल पुत्र हरिया दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों के पिता का सही नाम हीरालाल पुत्र हारया है। यह है कि प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने से विरासतन नामान्तरण नहीं खुलवा पा रहे हैं। इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हीरालाल पुत्र हारया दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय के जवाब से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हीरालाल पुत्र हारया ही है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी भूमि खसरा नम्बर 2864, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884 वाके रामा सिकराय तह० सिकराय जिला दौसा में प्रार्थीगणों के पिता का नाम हरिया पुत्र हिरया के स्थान पर हीरालाल पुत्र हारया तथा भूमि खसरा नम्बर 1414, 1415, 1416 वाके ग्राम सिकराय तह० सिकराय में प्रार्थीगणों के पिता का नाम हीरालाल पुत्र हरिया के स्थान पर हीरालाल पुत्र हारया दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते हैं। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (पीठा)